

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या-18 एच०एल०ए०

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2023 कहा जा सक्षित नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ii) में, "31 मार्च, 2017 तक" अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "30 जून, 2017 तक" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, "31 मार्च, 2017 तक" अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "30 जून, 2017 तक" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 3 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

दिनांक 1 जुलाई, 2017 से जी०एस०टी० कानून के तहत एक नयी कराधान प्रणाली लागू की जा चुकी है। आबकारी व कराधान विभाग द्वारा प्रद्वत कानूनों के तहत कर, जुर्माना और शास्ति सहित बकाया भारी राशि देय है, जिसे कई स्तरों पर विवादित मांगें एवं बकाया देनदारों की कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण वसूल कर पाना कठिन है। कम बकायों एवं मुकदमेबाजी से मुक्त जी०एस०टी० शासन में आगे बढ़ने और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए हरियाणा राज्य में विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के तहत व्यवस्थापन स्कीम लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई।

चूंकि विभाग द्वारा प्रशासित कानूनों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके तहत विभाग, शासित विभिन्न अधिनियमों के तहत बकाया राशि के व्यवस्थापन के लिए एक स्कीम लाए जाना चाहिए। इसलिए सरकार द्वारा एक या अधिक स्कीमों को अधिसूचित करने के लिए हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 को अधिनियमित किया गया, जिसमें “बकाया देय” में 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के बकाया परिभाषित किये गए। यह कानून पहली बार अध्यादेश के माध्यम से अधिनियमित किया गया तथा बकाया देयों की वसूली के लिए पहली एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 31 मार्च, 2017 तक के देयों के लिए अध्यादेश के तहत शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 की पहली तिमाही की अवधि इस अधिनियम और योजना के दायरे के बाहर रह गई। अब सरकार ने 30 जून, 2017 तक की शेष अवधि को भी इस अधिनियम के तहत लाने का निर्णय लिया है, इसलिए इस अधिनियम में संशोधन जरूरी है।

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 35) की धारा 2(ii) “बकाया देय” तथा धारा 3 में विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा मंत्रीमण्डल की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दिनांक 13.12.2023 को दे दी गई है।

उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा विधान सभा में हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करना आवश्यक होगा।

इसलिए यह विधेयक पेश किया जाता है।

दुष्पत्त चौटाला,
उपमुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :

दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

आर०के० नांदल,
सचिव।

अवधेय:

उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के हरियाणा गवर्नरमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

**हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 से उद्धरण
(2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 35)**

- 2 (i) ***** परिभाषाएं।
- 2 (ii) "बकाया देय" से अभिप्राय है, किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन **31 मार्च, 2017** तक की अवधि के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान न किया गया कोई कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य देय, चाहे निर्धारित किया गया हो या नहीं;
- 2 (iii) *****
3. सुसंगत अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई प्रतिकूल किसी बात स्कीम बनाना। के होते हुए भी, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति, आयातकर्ता, मालिक, स्वामी, व्यवहारियों की श्रेणी, व्यवहारियों की श्रेणियों या सभी व्यवहारियों द्वारा परिसीमा काल, भुगतान योग्य कर की दर, कर, ब्याज, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों को शामिल करते हुए, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन, सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों, जो **31 मार्च, 2017** तक की किसी अवधि से संबंधित हैं, के भुगतान को शामिल करते हुए बकाया देयों तथा उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के व्यवस्थापन के लिए एक या अधिक स्कीम अधिसूचित कर सकती है।

